

बिहार सरकार
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

पत्रांक :- 6/ए० /वि०1 - 1059/2017 - 1448 ,पटना - 15 ,दिनांक :- 14/6/17

सेवा में,

महालेखाकार,
बिहार, पटना।

विषय - दो पहिये चैसिस पर अधिष्ठापित 300 अदद 3600 लीटर (800 गैलन) क्षमता के जल टैंकर के फेब्रीकेशन एवं आपूर्ति हेतु 413.10 लाख रुपये (चार करोड़ तेरह लाख दस हजार रुपये) मात्र की राशि पर प्रस्तुत योजना की स्वीकृति।

आदेश - दो पहिये चैसिस पर अधिष्ठापित 300 अदद 3600 लीटर (800 गैलन) क्षमता जल टैंकर के फेब्रीकेशन एवं आपूर्ति हेतु 413.10 लाख रुपये (चार करोड़ तेरह लाख दस हजार रुपये) मात्र की राशि पर प्रस्तुत योजना की प्रशासनिक स्वीकृति राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जाती है। इस योजना का यॉत्रिक प्रमण्डलवार विवरणी की तालिका निम्नवत् है :-

क्रम संख्या	लोक स्वास्थ्य यॉत्रिक प्रमण्डल का नाम	3600 लीटर (800 गैलन) क्षमता के जल टैंकर के फेब्रीकेशन एवं आपूर्ति @ 1.377 लाख रुपये	राशि (लाख रुपये में)	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	पटना	40	55.080	पचपन लाख आठ हजार रुपये मात्र।
2	सासाराम	30	41.310	एकतालीस लाख एकतीस हजार रुपये मात्र।
3	गया	30	41.310	एकतालीस लाख एकतीस हजार रुपये मात्र।
4	मुजफ्फरपुर	45	61.965	एकसठ लाख छिआनबे हजार पाँच सौ रुपये मात्र।
5	दरभंगा	30	41.310	एकतालीस लाख एकतीस हजार रुपये मात्र।
6	छपरा	25	34.425	चौतीस लाख बेआलीस हजार पाँच सौ रुपये मात्र।
7	भागलपुर	50	68.850	अड़सठ लाख पचासी हजार रुपये मात्र।
8	मुँगेर	50	68.850	अड़सठ लाख पचासी हजार रुपये मात्र।
	कुल		413.100	चार करोड़ तेरह लाख दस हजार रुपये मात्र।

2. प्राकृतिक आपदा यथा गर्मी के मौसम एवं अन्य विशेष परिस्थितियों में राज्य के आभावग्रस्त क्षेत्रों में पेयजल की व्यवस्था हेतु जल टैंकर का उपयोग किया जाना है। इस योजना को एक वर्ष में पूरा करने का लक्ष्य है।

3. इस योजना पर होने वाला योजना व्यय बजट का मुख्य शीर्ष - 2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत - उपमुख्य शीर्ष - 01-सूखा - लघु शीर्ष - 102-पीने के पानी की पूर्ति - मांग संख्या - 36 - उपशीर्ष - 0002-अ्रकों एवं टैंकरों से पेयजल की दुलाई (लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग हेतु) - विपत्र कोड - 36-2245011020002 - विषय शीर्ष - 0002.13.08 हथालन व्यय मतदेय शीर्ष में भारितव्य होगा।

AMZ

R

18/11/17

4. इस योजना के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी कार्यपालक अभियन्ता, लोक स्वास्थ्य यॉत्रिक प्रमण्डल, पटना, सासाराम, गया, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, छपरा, भागलपुर एवं मुँगेर होंगे। योजना पर होने वाला व्यय स्वीकृत राशि तक सीमित रहेगा। राशि की निकासी संबंधित कोषागार से की जायेगी।
5. इस राशि में से स्थापना पर कोई व्यय नहीं किया जायेगा और न ही कोई नया पद सृजित किया जायेगा।
6. इसके नियंत्री पदाधिकारी अभियन्ता प्रमुख सह-विशेष सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग होंगे।
7. योजना एवं गैर योजना मदों में स्कीमों की स्वीकृति हेतु शक्तियों का प्रत्यायोजन से संबंधित वित्त विभाग के सेकल्प संख्या -- एम4- 53/2007-2199 / वि० दिनांक -- 24-03-17 के आलोक में इस योजना की स्वीकृति दी जाती है।
8. वर्ष 2017-18 के वार्षिक योजना उद्ध्य एवं बजट उपबंध में इसके लिए प्रावधान है।
9. इस पर आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

14.6.2017

(दिनेश्वर प्रसाद सिंह)

अभियन्ता प्रमुख --सह-- विशेष सचिव

झापांक -- 6/ए० / वि०1 -- 1059/2017 -- 1448 , पटना दिनांक -- 14/6/17 .

प्रतिलिपि -- वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार / योजना एवं विकास विभाग, बिहार / कल्याण विभाग, बिहार / जिला पदाधिकारी, पटना / रोहतास / गया / मुजफ्फरपुर / दरभंगा / छपरा / भागलपुर / मुँगेर / कोषागार पदाधिकारी, पटना / रोहतास / गया / मुजफ्फरपुर / दरभंगा / सारण / भागलपुर / मुँगेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. अभियन्ता प्रमुख --सह-- विशेष सचिव / मुख्य अभियन्ता (नागरिक) / मुख्य अभियन्ता (रूपांकण) / मुख्य अभियन्ता (यॉत्रिक) / विशेष पदाधिकारी / अधीक्षण अभियन्ता (मो०) / कार्यपालक अभियन्ता (मो०) / उप निदेशक (मू०) / कार्यपालक अभियन्ता (मो०/मू०) / सहायक अभियन्ता (मूल्यांकण) / प्रशाखा -- 4 / 6 / कम्प्यूटर प्रोग्रामर / आई० टी० मैनेजर, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3. क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, पटना / मुजफ्फरपुर / भागलपुर / अधीक्षण अभियन्ता, लोक स्वास्थ्य यॉत्रिक अभियंत्रण अंचल, पटना / मुजफ्फरपुर / भागलपुर / कार्यपालक अभियन्ता, लोक स्वास्थ्य यॉत्रिक प्रमण्डल, पटना / सासाराम / गया / मुजफ्फरपुर / दरभंगा / छपरा / भागलपुर / मुँगेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3/11/17

14.6.2017

(दिनेश्वर प्रसाद सिंह)

अभियन्ता प्रमुख --सह-- विशेष सचिव